



थाना-तहबरपुर, जनपद-आजमगढ़

ज्वैलर्स की दुकान से ₹1.10 लाख कीमत की सोने की चैन लूटकर भाग रहे 02 शातिर अभियुक्तों ने पीछा कर रहे दुकानदार व स्थानीय लोगों पर जान से मारने की नीयत से की फायरिंग, स्थानीय लोगों की तत्परता से दोनों अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 पिस्टल .32 बोर, 02 तमंचा .315 बोर, 18 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, 03 खाली मैगजीन, चापड़, पेचकस व रेती बरामद; घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल भी कब्जे में

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक ***17.09.2026*** को थाना तहबरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मंझारी बाजार स्थित राज ज्वैलर्स की दुकान पर दो व्यक्ति सोने की चैन खरीदने के बहाने आये। अभियुक्तों द्वारा 08 ग्राम की सोने की चैन पसंद की गयी, जिसकी कीमत करीब ₹1,10,000/- थी। भुगतान करने के लिए दुकानदार से क्यूआर कोड मांगा गया तथा भुगतान करने का प्रयास किया गया, लेकिन दुकानदार के खाते में धनराशि प्राप्त नहीं हुई। इस पर अभियुक्त सोने की चैन लेकर भागने लगे। दुकानदार एवं आसपास के लोगों द्वारा पीछा किये जाने पर अभियुक्तों ने असलहा निकालकर पीछा कर रहे लोगों को लक्ष्य कर फायर कर दिया, जिससे लोग बाल-बाल बच गये। स्थानीय लोगों द्वारा साहस एवं तत्परता दिखाते हुए दोनों अभियुक्तों का पीछा कर ग्राम बैरमपुर में पकड़ लिया गया। अभियुक्तों के पास से एक बैग एवं मोटरसाइकिल संख्या UP50BL5646 बरामद हुई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण:-

घटना की सूचना प्राप्त होने पर उ0नि0 सूर्यपाल यादव मय हमराह पुलिस बल मौके पर पहुंचे तथा दोनों अभियुक्तों को कब्जे में लेकर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। तलाशी में अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर, 02 अदद अवैध तमंचे .315 बोर, 03 अदद खाली मैगजीन, 10 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर, 08 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अदद चापड़, 01 अदद पेचकस एवं 01 अदद रेती बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना तहबरपुर पर ***मु0अ0सं0 142/2026 धारा 109, 309(4) बीएनएस*** पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान ***धारा 3(5), 111 बीएनएस तथा धारा 4/25, 3/25/27, 9/25/27 आयुध अधिनियम*** की बढोत्तरी की गयी। मुकदमे की विवेचना उ0नि0 सूर्यपाल यादव द्वारा की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त चन्द्रेश यादव ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ***दिनांक 31.08.2026 को न्यायालय के समीप वाहन स्टैंड से एक मोटरसाइकिल चोरी की थी*** तथा उसकी नम्बर प्लेट बदलकर UP50BL5646 लगा दी थी। उक्त मोटरसाइकिल का प्रयोग कर अभियुक्तों द्वारा विभिन्न स्थानों पर लूट, चोरी एवं झपटमारी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। दिनांक 17.09.2026 को अभियुक्त चन्द्रेश यादव अपने साथी प्रिंस चौहान के साथ अवैध असलहों से लैस होकर जा रहा था। इसी दौरान मंझारी बाजार स्थित राज ज्वैलर्स की दुकान पर सोने की चैन लूटने के बाद दुकानदार एवं स्थानीय लोगों द्वारा पीछा किये जाने पर दोनों अभियुक्तों द्वारा बचने के उद्देश्य से फायरिंग की गयी। स्थानीय लोगों की तत्परता एवं साहस से दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों के साथ मिलकर अपराध कारित करने वाले निम्नलिखित अभियुक्तों 01. अनिल यादव उर्फ मेटी पुत्र शिव प्रसाद यादव, निवासी ग्राम सरायभादी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, 02. राकेश यादव पुत्र मनी राम यादव, निवासी टोडरपुर रासेपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ 03. अनूप यादव पुत्र डॉ० सुरेन्द्र यादव उर्फ जितेन्द्र यादव, निवासी कोटवा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ 04. धर्मेन्द्र यादव उर्फ छोटई पुत्र राम आधार यादव, निवासी पीरी मनीरामपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ 05. दीपक यादव पुत्र लालमनी यादव, निवासी ग्राम शेखुपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ 06. रजित यादव, पता अज्ञात के नाम प्रकाश में आये हैं, जिनके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. चन्द्रेश यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव, निवासी जमीनबारी, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
2. प्रिंस चौहान पुत्र रघुवीर चौहान, निवासी कोटवा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 142/2026 धारा 109, 309(4) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3(5), 111 बीएनएस तथा धारा 4/25, 3/25/27, 9/25/27 आयुध अधिनियम, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:-

1. चन्द्रेश यादव – मु0अ0सं0 06/2026 धारा 123, 351(3), 64, 78 बीएनएस, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

01. 02 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर
02. 02 अदद अवैध तमन्चे .315 बोर
03. 03 अदद खाली मैगजीन
04. 10 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर
05. 08 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
06. 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
07. 01 अदद चापड़
08. 01 अदद पेचकस
09. 01 अदद रेती
10. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल संख्या UP50BL5646

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सूर्यपाल यादव, चौकी प्रभारी, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 सुनील यादव, थाना तहबरपुर।
3. का0 वन्दन सिंह, थाना तहबरपुर।
4. का0 प्रभू मौर्या, थाना तहबरपुर।
5. का0 विशाल यादव, थाना तहबरपुर।

